



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1570 वर्ष 2026

रविंद्र सिंह
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशुतोष प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह प्रतिवादी के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह और राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।
- श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पद पर 27.10.2010 को हुई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी श्रीमती सीमा उर्फ आरजू के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हुआ, जिसमें 30.11.2016 को फैसला सुनाया गया और 03.12.2016 को डिक्री पारित की गई। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता की पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय की धारा 19 के तहत प्रथम अपील संख्या 69/2017 (श्रीमती सीमा उर्फ आरजू बनाम रविंद्र सिंह) दायर की। हालांकि, प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान, दूसरे विवाह के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया और उसके बाद प्रथम अपील में 23.01.2018 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को तीन महीने के साधारण कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ता को जेल भेज दिया गया और उसके बाद 06.04.2018 को उसे इस आरोप के आधार पर निलंबित कर दिया गया कि वह 03.04.2018 से 25.06.2018 तक कारावास में था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे 10.07.2018 को सेवा में बहाल कर दिया गया था, हालांकि, एसीपी और अन्य लाभ अपील पर अंतिम निर्णय आने तक लंबित रखे गए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 46,200 रुपये का वेतन मिल रहा है, जबकि उसके समकक्षों को 49,000 रुपये का वेतन मिल रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि 3 अप्रैल 2018 से 25 जून 2018 की अवधि के वेतन और अन्य लाभों के बकाया भुगतान के लिए निर्देश दिया जाए।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया दूसरे प्रतिवादी, प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निपटारा किया जाना आवश्यक है।
6. इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
7. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। द्वितीय प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का विधि कानून के अनुसार ही करेगा। यदि द्वितीय प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें भेज दिए जाएंगे।
8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आज दाखिल किए गए निर्देशों को परिशिष्ट ए के रूप में दर्ज किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"